OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
VADODARA –II COMMISSIONERATE

1ST FLOOR, CENTRAL EXCISE BUILDING, RACE COURSE, VADODARA-390007

Telephone No. (0265) 2388166 Fax No. (0265) 2388243

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY : 01/ 28/07/2016

विषय:- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा-कर, वड़ोदरा-2 आयुक्तालय में एस.एम.एस. सेवा शुरू होना –तत्सम्बन्धी ।

SUBJECT : SMS SERVICE STARTED IN THE OFFICE OF PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX, VADODARA-II - REG.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा-कर, वड़ोदरा-2 आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय एवं उद्योग, सभी आयातक एवं निर्यातक तथा अन्य स्टेक होल्डर के ध्यान में लाया जाता है कि धनवापसी और शुल्क वापसी दावों की प्रोसेसिंग के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सूचना भेजने के लिए धनवापसी और शुल्क वापसी विंग में वड़ोदरा-2 आयुक्तालय दिनांक 15 अगस्त 2016 से डाक/मेल के अतिरिक्त एक शॉर्ट मेसेजिंग सर्विस (एस.एम.एस.) की शुरुआत कर रहा है ।

It is brought to the notice of trade & industry, all the custom brokers, importers & exporters and other stakeholders falling under Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-II Commissionerate that Vadodara-II Commissionerate is starting a Short Messaging Service (SMS) from **15th August 2016** in the refund and drawback sections to disseminate information related to various aspects of processing of refund and drawback claim in addition to the postal letters/mail.

2. इस आयुक्तालय के व्यवसाय और उद्योग जगत ने कई बार सूचित किया है कि सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, वड़ोदरा बहुत दूर होने के कारण उन्हें अपने दावों की प्राप्ति एवं पंजीकरण की पावती, व्यक्तिगत सुनवाई सम्बन्धी पत्र तथा विभाग द्वारा जारी अंतिम आदेश (शुल्क वापसी व धन वापसी) मिलने में बहुत देरी होती है । उन्होंने यह भी सूचित किया कि जब भी वे व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख बदलने का अनुरोध करते हैं, तो उनके अनुरोध की प्राप्ति सम्बन्धी पत्राचार में भी विलम्ब होता है ।

The trade & industry in this Commissionerate had repeatedly informed that owing to large distances from Office of the Principal Commissioner, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-II, they face delay in getting an acknowledgement for the receipt and registration of their claims; in receiving personal hearing letters in time as also the final orders (Drawback or Refund /Rebate) issued by the department. They also informed that whenever they request for a change of date of hearing, the communication regarding the receipt of their request also gets delayed.

3. इन चिंताओं का समाधान करने के लिए और व्यापार करने की सुविधा में सुधार करने के लिए इस कार्यालय ने एक प्रणाली की शुरुआत की है जिसके माध्यम से उपर्युक्त पहलुओं से सम्बन्धित जानकारी स्टेकहोल्डरों को डाक/ईमेल के अलावा एस.एम.एस. से भी भेजी जाएगी ।

In order to address such concerns and as a measure for improving the ease of doing business, this office has put in place a system whereby the information with respect to the above aspects shall be disseminated to the stake holders by way of SMS in addition to the postal letter/e-mail.

4. इस प्रणाली के अंतर्गत यह कार्यालय आवेदकों को, जैसा भी मामला हो, एस.एम.एस. भेजेगा । कुछ ऐसे मामले जिनमें एस.एम.एस. भेजे जाने चाहिए, निम्नलिखित हैं :-

As a part of this system, this Office shall send the SMS, as the case may be, to the applicants. Some of the instances where SMS shall be sent are as under:

(क) धनवापसी/शुल्क वापसी का आवेदन मिलने पर: किसी आवेदक से आवेदन मिलने और उस पर संख्या निर्दिष्ट करने के बाद, निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा ।

"हमें आपका दिनांक xx.xx.2016 का (Ref/DBK) दावा प्राप्त हुआ है और उसे दिनांक xx.xx.2016 को दावा संख्या sxx.xx.2016-XXX/2016-Cex. के रूप में पंजीकृत किया गया है ।"

Receipt of application of refund/drawback: After an application is received from an applicant and a number assigned to the same, the following message shall be sent.

We are in receipt of your (Ref/DBK) claim dt.XX.XX.2016 and It has been registered on XX.XX.2016 as Claim No. SXX/XXX/2016 –XXX-Cex.

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख: उप आयुक्त (शुल्क वापसी/धन वापसी) द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख प्रदान किये जाने पर निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा :-

"आपके (Ref/DBK) दावा दिनांक xx.xx.2016 के संदर्भ में, व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक xx.xx.2016 को xx.xx बजे निर्धारित की गई है ।"

Date of Personal Hearing: On according the date for personal hearing by the Assistant / Deputy Commissioner (drawback/refund), the following message shall be sent:

With reference to your (Ref/DBK) claim dt.XX.XX.2016, Personal Hearing has been fixed on XX.XX.2016 at XX.XX Hrs.

(ग) व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन: किसी अपीलकर्ता से व्यक्तिगत सुनवाई की तारिख आगे बढाने सम्बन्धी आवेदन प्राप्त होने पर एक पावती संदेश भेजा जाएगा ।

Request for postponement of personal hearing: On receipt of a request for change in date of personal hearing from an appellant, an acknowledgment message shall be sent.

(घ) अंतिम मूल आदेश जारी करना: अंतिम आदेश जारी करने पर, उसे डाक से भेजने से पहले, निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा:-

"आपके दिनांक xx.xx.2016 के दावे के सन्दर्भ में अंतिम आदेश दिनांक xx.xx.2016 को पारित किया गया है जो आपको डाक द्वारा जल्दी ही मिल जाएगा ।"

Issuance of final Order-in-Original: On issuance of the final Order, before its dispatch by Post, the following message shall be sent:

With reference to your Claim dt. XX.XX.2016, the final order has been passed on XX.XX.2016. The same shall reach you by Post shortly.

(ड) डेफिशंसी मेमो जारी करने के मामले से सम्बन्धित सूचना भी एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी ।

In case where deficiency memo is issued, information in this regard would also be sent by SMS

(ण) यह सुविधा सभी रिफंड आवेदनों, शुल्क वापसी के लिए पूरक दावों, ब्रांड दर शुल्क वापसी और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत किये गए दावों के लिए दी जाएगी ।

This facility will be for all refund/rebate under Section 11B)/drawback applications, supplementary claims for drawback, Brand rate drawback and claims made under Section 74 of Customs Act, 1962.

5. ऐसे एस.एम.एस. भेजने के लिए, इस कार्यालय ने भेजने वाले का नाम मोबाइल स्क्रीन पर "VM-CEX VAD" दिखाने की व्यवस्था की है ।

5. ऐसे एस.एम.एस. भेजने के लिए, इस कार्यालय ने भेजने वाले का नाम मोबाइल स्क्रीन पर "VM-CEX VAD" दिखाने की व्यवस्था की है ।

For sending such SMS's, this Office has christened the sender as visible on mobile screen as "VM – **CEX VAD.**"

6. **इस योजना को सफल बनाने के लिए एक पूर्व अपेक्षा सभी आवेदकों के मोबाइल नम्बरों की उपलब्धता है । सभी धन वापसी/ शुल्क वापसी/ आवेदकों से अनुरोध है कि वे रिफंड आवेदन फॉर्म के मुख पृष्ठ पर प्राधिकृत वित्त प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रचालन) का मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाएं । मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना पूर्ण रूप से वैकल्पिक है और व्यवसाय तथा उद्योग जगत के लाभ के लिए है ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें । मोबाइल नम्बर फॉर्म के मुख पृष्ठ पर उपलब्ध करवाएं । इसके अलावा इसे धन वापसी/ शुल्क वापसी अनुभाग में 0265- 2392510 फोन नम्बर पर भी दिया जा सकता है ।**

A pre-requisite for making this scheme a success is the availability of the mobile numbers of the applicants. All Claimants/Applicants of Drawback/Refund/Rebate are requested to furnish the mobile number of the authorized Finance Manager/Executive (Operations) in the body of rebate/refund/Drawback application form. The furnishing of mobile number is purely optional and is for the benefit of the trade & industry so that they can avail of this facility. The mobile number may be furnished in the body of the Form. Alternatively, the same may be furnished in the refund/drawback section -0265- 2392510 .

7. **सभी व्यापार एसोसिएशनों से अनुरोध है कि वे इस व्यापर सुविधा में उल्लिखित बातों का सामान्य रूप से सभी निर्यात एवं व्यापार जगत के बीच प्रचार करें । कोई कठिनाई होने पर कृपया निम्नलिखित अधिकारी से दिए गए फोन नम्बर पर संपर्क करें ।**

All trade associations are requested to give wide publicity to the contents of this trade facility among all exporters and the trade in general. In case of any difficulty, please contact -

सहायक उप आयुक्त **(शुल्क वापसी/धन वापसी) Assistant/Deputy Commissioner** (Drawback/ Refund): at –**मुख्यालय, वडोदरा-2** or **प्रभागीय सहायक/उप आयुक्त, वडोदरा-2**

// अनुप्रमाणित/**ATTESTED**//

(मनीषा सक्सेना)
अपर आयुक्त(तकनिकी)
Additional Commissioner(Technical)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा-कर, वड़ोदरा-2
Central Excise, Customs & Service Tax,
Vadodara-II.

SD/-28.07.2016
(Karnail Singh)
Principal Commissioner,
Central Excise, Customs & Service Tax,
Vadodara-II

.No.IV/16-22//Vad-2/Tech/2016-17

Vadodara, Dated 28.07.2016

Copy to:-
(1) The Chief Commissioner, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara Zone.
(2) The Director General, Directorate General of Taxpayers Services, Customs & Central Excise, C. R. Building, I. P. Estate, New Delhi-110 002.
(3) The Dy./Asstt. Commissioner, Division-Makarpura, Waghodia, Service Tax, Halol-I, Halol-II, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-II.
(4) All Sections' Heads, Headquarters Office, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-II.
(5) The Assistant Commissioner (Systems) to get PDF copy of this Trade Notice to be mailed to all the trade associations' e-mail ids as well as upload on the Commissionerate's website.
(6) As per mailing list to the Department & the Trade.
(7) Office Copy / Guard File./Notice Board.